कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,खण्ड—चित्तौड़गढ़

क्रमांक / 2018-19 / 1045

दिनांक : 31/3/18

श्रीमान् सुभाष अभियंता (मथ). सानिविभ. सार्वजनिक जयपुर।

विशेष :- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्यवस्थापन उद्धरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 5 एवं सार्वजनिक भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्यवस्थापन में उद्धरण प्रकार और पारदर्शितांक अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

प्रसंग उपखण्ड अधिकारी राजमी का पत्रांक /भूमि-अवाप/2018/452 दिनांक 30.07.2018

महोदयजी,

उपरोक्त विषय-स्थल निर्देशन है कि भीमगढ एवं हरनाथपुरा बाइपास निर्माण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्यवस्थापन उद्धरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 5 एवं सार्वजनिक भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्यवस्थापन में उद्धरण प्रकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्रकाशित गायों में भूमि अर्जन के तहत सामाजिक समायोग निर्धारण हेतु लोक सुधार ड्राइव का आयोजन दिनांक 23.08.2018 को आयोजित किया है, तथा उक्त अधिनियम के तहत लोक सुधार ड्राइव की लोक सुधार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

अतः पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी राजमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित लोक सुधार की प्रति सलाह कर निवेदन है कि इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करायें।

सलग- लोक-सुधार

क्रमांक / 2018-19/

प्रतिस्पर्द:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत हैं --
1. श्रीमान् अधीशाशी अभियंता सानिविभ. खण्ड—चित्तौड़गढ़।
2. उपखण्ड अधिकारी,राजमी।
3. श्री विराजी लाल वर्मा राजस्थान निरीक्षक सानिविभ. खण्ड—चित्तौड़गढ़।

दिनांक

अधीशाशी अभियंता
सानिविभ. खण्ड—चित्तौड़गढ़
संशोधित लोक-सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन में उद्धत प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास प्रयोजन 2013 के द्वारा 5 एवं राजस्थान भूमि अर्जन अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नियम-7 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन में उद्धत प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन में उद्धत प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्राधिकूल भाषा एवं राजस्थान राज-प्रत्र विशेषक संख्या एक.2(13)/राजवित/एस्सी/2017/0-57 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार भीमसेन बाईपास परियोजना एवं राजस्थान राज-प्रत्र विशेषक संख्या एक.2(14)/साध्र/एस्सी/2017/0-58 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार हर्रावधुरा बाईपास परियोजना को विकसित किये जाने के प्रयोजन से तहसील राजस्थान भित्ती इलाके के लिए इस कार्यालय की लोक-सूचना क्रमांक/भूमि-अधिनियम/2018/447 दिनांक 27.07.2018 जारी की गई जिसे संशोधित किए जा कर बिज्ञानशास्त्र प्रभावित गांवों में भूमि हरर्राछ के तहत सामाजिक समाधान विधान हेतु लोक सूचना का आयोजन बिज्ञानशास्त्र किया जाता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>प्रभावित गांव का नाम</th>
<th>बाईपास परियोजना</th>
<th>लोक सूचना स्थल</th>
<th>दिनांक</th>
<th>समय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>भीमगढ़</td>
<td>भीमगढ़</td>
<td>राजस्थानी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>हर्रावधुरा बाइपास परियोजना</td>
<td>हर्रावधुरा बाइपास परियोजना</td>
<td>पंचायत सभीता सभागार, राजस्थानी</td>
<td>23.08.2018</td>
<td>प्रातः 11.00 बजे</td>
</tr>
</tbody>
</table>

इस लोक सूचना में समस्त प्रभावित आमजन एवं जनप्रतिनिधित्व की उपस्थिति सादर प्राधिकूल है।

भूमि अधिनियम अधिकारी,
विधित प्राधिकूल
(उपखाम अधिकारी)
राजस्थान